न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 91/2025 निर्णय दिनांक 24.04.2026
ऑनलाईन नम्बर 2025/188

विधाधर व्यास पुत्र राधा किशन जाति ब्राहम्ण निवासी कितासर बिदावातन तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ।

—प्रतिवादी—

—उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 भू—राजस्व अधिनियम</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 151 तादादी 6.3200 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गा बास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में अवस्थित है। जो कि वादी द्वारा खरीदशुद्धा खेत है। वादी ने उपरोक्त कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 151 को आज से लगभग 40 वर्ष पहले खातेदार भंवरसिंह पुत्र धन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी कितासर बिदावतान से खरीद किया था। विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उपपजीयक रतनगढ़ मे कराया गया। वादगत कृषि भूमि को विक्रय पत्र का पंजीयन कराते समय विक्रय पत्र में क्रेता का नाम बुधाराम पुत्र राधाकिशन जाति ब्राह्मण अंकित कर दिया गया था। वादी को विधाधर व्यास व बुधाराम दोनो नाम से जाना पहचाना जाता है विक्रय—पत्र कराते समय प्रलेख लेखक को परिवार से आये हुये लोगो ने घर में बोलता नाम प्रयुक्त होने वाला नाम बता दिया गया प्रलेखक ने उसी प्रकार दर्ज कर तथा विक्रय पत्र का पंजीयन करा दिया बाद पंजीयन राजस्व रिकार्ड में विक्रय—पत्र के अनुसार नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। वादी के उक्त दोनो ही नाम है वादी का दस्तावेजी नाम विधाधर व्यास है वादी के आम बोलचाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होने से वादी को काफी समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है। वादी राजस्व रिकार्ड में अपना दस्तावेजी नाम विधाधर व्यास अंकन करवाने के लिए प्रतिवादी संख्या एक से दिनांक 25.05.2025 को निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या एक ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुऐ जमाबन्दी में वादी का दस्तावेजी नाम अंकन करने से साफ इन्कार कर दिया यही वाद हेतुक है। वादगत भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 भूमिधारी होने के कारण पक्षकार समायोजित किया गया है स्टेट से किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है फिर भी कानूनी आपतियो को मध्यनजर रखते हुए 80 (2) सी.पी.सी. का छूट का प्रार्थना पत्र वादपत्र के साथ प्रस्तूत किया जा रहा है। वादगत कृषि भूमि के खसरा नम्बर 151 तादादी 6.3200 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गा बास रामसरा में होने से वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। वादपत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर व समय सीमा के भीतर—भीतर प्रस्तूत किया जा रहा है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(क) कि इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि वादगत खेत खसरा नम्बर 151 तादादी 6.3200 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गा बास रामसरा में वादी के नाम विधाधर व्यास पुत्र राधा किशन जाति ब्राह्मण निवासी कितासर बिदावतान की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावें ।

(ख) अन्य अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा उत्पन्न हो वादी के पक्ष में फरमाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी PW-1 में स्वयं का शपथ पत्र किया गया। वादी के बयान लेखबद्ध किये गये। जिरह पैरोकारराज शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 151 तादादी 6.3200 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गा बास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम ''बुधाराम'' के स्थान पर ''वीधाधर व्यास'' घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ
पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

विधाधर व्यास पुत्र राधा किशन जाति ब्राहम्ण निवासी कितासर बिदावातन तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ।
मुकदमा नम्बर 91/2025
दावा बाबत खाताः घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांक 24.04.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजाराम नैण अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 151 तादादी 6.3200 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गा बास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम "बुधाराम" के स्थान पर "वीधाधर व्यास" घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 24 माह 04 सन् 2026 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)